भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 934
दिनांक 27 जुलाई, 2026

पीएनजी विस्तार, एलपीजी संक्रमण सुधार और रणनीतिक प्रोत्साहन

934 # श्री राजीब भट्टाचार्जीः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री बृज लालः
श्री मनन कुमार मिश्रः
श्री अमर पाल मौर्यः
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः
श्री जग्गेशः
श्री चुन्नीलाल गरासियाः
श्री राजिन्दर गुप्ताः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 का विस्तार करने से उत्तर भारत में आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा छात्रावासों के लक्षित गैसीकरण में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी से अब तक एलपीजी से पीएनजी में परिवर्तित होने वाले वाणिज्यिक रसोईघरों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष तीन महीने की त्वरित अनुमोदन ढांचा अवधि के दौरान प्रदान किए गए नए घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा प्राथमिकता वाले पीएनजी कनेक्शनों के मूल्य निर्धारण मॉडल की निगरानी के लिए उपयोग किए गए विशिष्ट मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ड.) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों के सहयोग से दिनांक 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 की शुरुआत की। पीएनजीआरबी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, नए कनेक्शनों को बढ़ावा देना और निष्क्रिय नॉन-बिल्ड ग्राहकों को फिर से सक्रिय करना है, जिसका समग्र उद्देश्य विभिन्न उपयोगकर्ता श्रेणियों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाना है। इस पहल के तहत, सरकार और प्राधिकृत सीजीडी कंपनियों द्वारा विभिन्न उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) परिवारों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्टिविटी का विस्तार;
ii) शामिल परिवारों का सक्रिय बिल्ड उपभोक्ताओं के रूप में परिवर्तित करना;
iii) जागरूकता अभियान और उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम;
iv) त्वरित संविधिक अनुमतियों के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय; और
v) उपभोक्ता-अनुकूल उपायों का कार्यान्वयन, जिसमें डिजिटल पंजीकरण, सरलीकृत कनेक्शन प्रक्रियाएं और सीजीडी कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली प्रचार योजनाएं शामिल हैं।

उत्तरी भारत (दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्य को शामिल करते हुए) में अभियान अवधि के दौरान, कुल 268 आवासीय विद्यालयों, कॉलेजों और छात्रावासों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) से पीएनजी में बदला गया है। इसके अलावा, जनवरी 2026 से जून 2026 के बीच कुल 1976 वाणिज्यिक रसोईयों को एलपीजी से पीएनजी में बदला गया है।

देश भर में पीएनजी अभियान लागू होने से पीएनजी घरेलू कनेक्शनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर भारत के 5,09,312 सक्रिय पीएनजी (डी) कनेक्शन शामिल करते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2026 से 30 जून, 2026 तक 13,37,911 सक्रिय पीएनजी (डी) कनेक्शन और जोड़े गए हैं।

किसी भी जीए में पीएनजी का खुदरा विक्रय मूल्य (आरएसपी) संबंधित सीजीडी कंपनी द्वारा अधिप्राप्त की गई गैस की लागत, राज्य कर, टैरिफ और अन्य घटकों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाता है। हालांकि, पीएनजी (घरेलू) खंड के लिए गैस और परिवहन टैरिफ की लागत सरकार की घरेलू गैस आवंटन नीति और पीएनजीआरबी द्वारा अधिसूचित परिवहन टैरिफ ढांचे से प्रभावित होती है। पीएनजी (घरेलू) खंड के लिए आवश्यकता को प्रशासित मूल्यों पर घरेलू प्राकृतिक गैस (एपीएम/एनएपीएम) के आवंटन के माध्यम से पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है, जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की सीमा के अधीन हैं और प्राकृतिक गैस के बाजार मूल्य से भी काफी कम हैं। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से देश भर में घरेलू पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार को सुविधाजनक बनाने हेतु पिछले तिमाही में वास्तविक पीएनजी (घरेलू) खपत के 105% के बराबर घरेलू प्राकृतिक गैस, पीएनजी (घरेलू) खंड को आवंटित की है।

पीएनजीआरबी ने टैरिफ जोन को तीन से घटाकर दो कर दिया है और जोन-1 (300 किमी तक) के लिए 54.00 रुपए/एमएमबीटीयू और जोन-2 (300 किमी से अधिक) के लिए 110.02 रुपए/एमएमबीटीयू का परिवहन टैरिफ अधिसूचित किए हैं, जो दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी हैं। सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) के लिए जोन-1 टैरिफ को राष्ट्रव्यापी रूप से बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 300 किमी की दूरी से भी अधिक के उपभोक्ताओं के लिए परिवहन शुल्क में लगभग 50% की कमी आई है।
